सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 माघ, 1944 (श०)

संख्या – 51 राँची, सोमवार, 30 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

21 अक्टूबर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-144/2018-17842 (HRMS)--श्री सुनील कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-727/03), तत्कालीन परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, पाकुड़ के विरूद्ध उपायुक्त, पाकुड़ के ज्ञापांक-2433, दिनांक 27.11.2018 द्वारा आरोप पत्र (प्रपत्र-'क') गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध वनबन्धु कल्याण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति परिवारों में जागरूकता पैदा करने तथा आयवृद्धि योजना के क्रियान्वयन में निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु नियमों के विरूद्ध एन०जी०ओ० के साथ षडयंत्र के तहत् मिलीभगत करके सरकारी राशि का दुरूपयोग करने तथा अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाओं को विफल करने संबंधी कुल-08 (आठ) आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-109, दिनांक 04.01.2019 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री सिंह के पत्रांक-06, दिनांक 17.03.2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा मुख्य रूप से कहा गया कि इनके द्वारा गैर सरकारी संस्था को उपायुक्त, पाकुड़-सह-अध्यक्ष, पी०आई०सी० के स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही अग्रिम का भुगतान किया गया है तथा इसमें इनके द्वारा किसी प्रकार का अनियमित भुगतान नहीं किया गया है तथा इनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया कि इनके ऊपर लगाये गये आरोप निराधार, अप्रमाणिक, अवास्तविक, मनगढ़ंत, मिथ्या तथा सच्चाई से परे है, अतः लगाये गये आरोप से मुक्त की जाय ।

श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7662, दिनांक 23.09.2019 द्वारा उपायुक्त, पाकुड़ से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-02/स्था०, दिनांक 04.01.2020 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया। श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, पाकुड़ से प्राप्त मंतव्य की प्रति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग विभागीय पत्रांक-2003, दिनांक 18.03.2020 से भेजते हुए विभागीय मंतव्य की माँग की गयी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पत्रांक-1206, दिनांक 20.04.2022 द्वारा विभागीय मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिंह के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की अनुशंसा की गई तथा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं की गई। आरोप से संबंधित सभी योजनाओं में अग्रिम दी गई राशि, जिसका समायोजन नहीं हुई थी, के विरूद्ध संबंधित एन०जी० ओ० द्वारा सूद सहित राशि जमा करा दिये जाने संबंधी मंतव्य अंकित किया गया ।

आरोपी पदाधिकारी श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उक्त स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, पाकुड़ एवं विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि आरोप सं०-06, प्रोटोटाईप फेज-7 (2014-15) की योजना में आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक 22.10.2014 को रू० 4,00,000/-, दिनांक 01.04.2015 को रू० 10,00,000/- एवं दिनांक 06.07.2015 को रू0 5,00,000/- अनियमित अग्रिम दिया गया है, जो प्रावधान के अनुरूप नहीं है। पूर्व में दी गई अग्रिम राशि का समायोजन किये बिना ही उनके द्वारा आगे भी अग्रिम दिया जाता रहा। हालांकि विभागीय प्रतिवेदनानुसार उक्त अग्रिम राशि के विरूद्ध संबंधित एन०जी०ओ० द्वारा सूद सहित राशि जमा कर दी गई, जिससे स्पष्ट है कि उक्त योजना में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अग्रिम दिये जाने में लापरवाही बरती गई है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SUNIL KUMAR SINGH NO. 1 BHR/BAS/3479	श्री सुनील कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-727/03), तत्कालीन परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, पाकुड़ के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत लघु दण्ड अन्तर्गत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

समीक्षोपरांत, अग्रिम दिये जाने में लापरवाही बरतने के लिए श्री सुनील कुमार सिंह, तत्कालीन परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, पाकुड़ के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i)के तहत लघु दण्ड अन्तर्गत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सुनील कुमार सिंह, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 51 -- 50